

**उत्तर प्रदेश राजनीति
समाज कल्याण अनुभाग-३
संख्या-१५६८/२६-३-२०१३-रिट(२३)/२०११**
लाइनल : दिनांक ० २ दिसम्बर, २०१३

कार्यालय झाप

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में सामान्य वर्ग के उत्तर/छात्राओं को छात्रवृत्ति/सूल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में याहू मंत्रिपरिषद के अनुमोदनीयकान्त कार्यालय झाप संख्या-१२/२६-३-२०१३-रिट(२३)/२०११, दिनांक-०७.०१.२०१३ हारा “उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-२०१२” निर्गत की गयी है तथा कार्यालय झाप संख्या-३०६/२६-३-२०१३-रिट(२३)/२०१३, दिनांक १८.०६.२०१३ हारा उक्त नियमावली के कठिपय प्रस्तारों द्वारा संशोधित किया गया है। मिट्टेक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-२०६९/सक/रिट-३५/२०१३-१४, दिनांक-१०.१०.२०१३ के महायाम से प्राप्त सुझावों पर सम्बन्धित योजनावाली उक्त नियमावली के निम्न प्रस्तारों को संशोधित(हिन्दीय संशोधन) करते हुये निम्नवत् व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है:-

क्रम संख्या	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम	
१	नियम ५ (v)	केंद्र का उत्तर किए हैं साधारणत अनुसूचित वैक व दोषीय छात्राओं वैक से है, जिसमें दोष खेड़ी की सुविधा उपलब्ध हो।	केंद्र का उत्तर किए हैं साधारणत १५५९ हारा नियमावली ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक वैक से है, जिसमें दोष खेड़ी की सुविधा उपलब्ध हो।
२	नियम ५ (vii) (सी हीट)	केंद्र अवधा राज्य के सहाय प्रतिवाची सत्र से आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या ऐरिट की प्रतिवित द्वितीय के अवधा पर अन्तर्भुत हारा भरी गयी हीट।	केंद्र अवधा राज्य के सहाय प्रतिवाची सत्र से व्यवसायिक/ उत्कीर्णी/ ऐडिकल पद्धतिकारी व अन्योनित द्वारा परीक्षा के अवधा पर कार्यसिद्धिन के माध्यम से उपलब्ध अन्तर्भुत हारा भरी गयी हीट या इन्टरनीशियट एवं ऐर व्यवसायिक/ द्वारा उत्कीर्णी/ और ऐडिकल पद्धतिकारी व अन्योनित द्वितीय के अवधा पर भरी गयी हीट।
३	नियम ५ (viii) (पेंड भीट)	केंद्र अवधा राज्य के सहाय प्रतिवाची सत्र से आयोजित प्रवेश परीक्षा से द्वारा अवधा प्रवेशकीय कोई एवं का नियम घोषित नामांकन अद्वितीय व भरी गयी हीट।	केंद्र अवधा राज्य के सहाय प्रतिवाची सत्र से व्यवसायिक/ उत्कीर्णी/ ऐडिकल पद्धतिकारी व अन्योनित द्वारा परीक्षा के अवधा पर कार्यसिद्धिन से द्वारा अन्तर्भुत हारा भरी गयी हीट या उत्कीर्णी/ और ऐडिकल पद्धतिकारी व अन्योनित द्वितीय के अवधा पर भरी गयी हीट।

		राजस्थानीय संसदीय नियमों में एवं वित्त विभाग के अनुरूप चर्चा की गयी।
4	विषय-7	कृषि नियमों के संलग्न वे अधिनियम की नियम की बहारीत के द्वारा से जारी किया गया 'राजस्थान नियम इनाम पत्र' याकूब होगा, जो राजस्थान विशेष ली ऐक्साइट पर अधिनियम का ही उपलब्ध हो।
5	विषय-12(i)	इस खेतीना में जहाँ जातों को संबंधित नियम संसदीय द्वारा जारी किया जाएगा। जहाँ द्वारा जारी हो सकते हैं तो जिम्मेदारी गुरुज्ञ का बुगाराम सर्व जनना होता। इस खेतीना में नियमित जारी की आवश्यक नहीं रहती। यद्यपि खेतीना द्वारा जारी जीवन के अनुरूप और नियमानुसारी की ज़रूरियां के अनुरूप जारी की जानुवृत्ति राजस्थान नियमानुसार जारी की जैक जारी में Recipient की जाएंगी।
6	विषय-12(ii)	अनुसार जारी यह कृषि इनियूर्ट की अनुसारी जारी करने हेतु यात्रा जारी विशेष रूप से राजस्थान नियमित अधिनियम द्वारा पर सूचनाएँ जारी हो इनियूर्ट विशेष रूप से अनुसार सभी वासित संसाधनों विशेष विशेष रूप से अनुसार जारी पर संविधित नियम संसदीय में नियमित अधिनियम विधि तक प्रस्तुत करेगा, जिसकी वासी नियमित द्वारा विशेष रूप से अनुसार नियम संसदीय द्वारा अन्यत्री को प्रदान की जाएगी।

			जिसकी पावती निर्देश प्रबन्ध अधिकारी वा को अनुसार नियम संस्थान द्वारा अन्यकी वा प्रदान की जायेगी।
7	नियम-12(ii)	<p>अन्यकी द्वारा यह किंवदं यहे आवेदन पत्र में संलग्न आय व नियम प्रबन्ध वाली का संलग्न संलग्न विभाग की ईक्सेट्रट से तथा अन्य प्रबन्ध वाली का नियम सूचि प्रबन्ध वाली से नियम संस्थान संलग्न संलग्न विभाग वाली का नियम सूचि तथा नियम सूचि वाली का नियम संलग्न विभाग की ईक्सेट्रट से उपरान्ती होती है। आवेदन पत्र की आय संलग्न अधिकारी का नियम किंवदं यहे का उपरान्त तथा एवं उह यहे यहे आवेदन वाली पर अनुसार भला व गुण अधिकृती की संलग्नी द्वारा संलग्न संलग्न विभाग विभाग की द्वारा जायेगी।</p> <p>1—संलग्न प्रबन्ध/नियम/प्रबन्ध/प्रबन्धाती— अन्य 2—संलग्न के वरिष्ठतम् प्रबन्ध— अन्य 3—संलग्न के वरिष्ठतम् अनुसारी की प्रबन्धाता — अन्य</p> <p>अन्यका संलग्न के वरिष्ठतम् अन्य नियम वाली के प्रबन्धाता अन्यका उह संलग्न का नियम नियमात्मक नियमक द्वारा नियम संलग्न की एवं वर्ती प्रबन्धाता</p>	<p>अन्यकी द्वारा यह किंवदं यहे आवेदन पत्र में संलग्न प्रबन्ध वाली का नियम सूचि प्रबन्ध वाली से नियम संलग्न विभाग विभाग वाली का नियम सूचि तथा नियम सूचि वाली का नियम संलग्न विभाग की ईक्सेट्रट से उपरान्ती होती है। आवेदन पत्र की आय संलग्न अधिकारी का नियम किंवदं यहे का उपरान्त तथा एवं उह यहे यहे आवेदन वाली पर अनुसार भला व गुण अधिकृती की संलग्नी द्वारा संलग्नी संलग्न विभाग विभाग की द्वारा जायेगी।</p> <p>1—संलग्न प्रबन्ध/नियम/प्रबन्ध/प्रबन्धाती— अन्य 2—संलग्न के वरिष्ठतम् प्रबन्ध— अन्य 3—संलग्न के वरिष्ठतम् अनुसारी की प्रबन्धाता — अन्य</p> <p>संलग्न के वरिष्ठतम् अन्य नियम वाली की प्रबन्धाता (अनुसारी का वर्ती वा प्रबन्धाता उपरान्त न होने वा दरा ही) अन्यका एवं संलग्न का नियम नियमात्मक नियमक द्वारा नियम संलग्न की वर्ती वा वर्ती प्रबन्धाता (अनुसारी एवं अन्य नियम वाली का वर्ती वा प्रबन्धाता न होने वा दरा ही)</p>
8	नियम-12(iv)	<p>उपरोक्त वर्ती वा संलग्न भागी का नियमात्मक नियम विभाग द्वारा नियमात्मक वाली का उपरान्तीप्रबन्ध संलग्न विभाग वाली का ही होता। संलग्न द्वारा अन इन विभाग आवेदन पत्र का विष आवेदन (संलग्न संलग्नाती भवित), अन लागू नियमात्मक नियम की हाई वाली, वर्तीप्रबन्ध 'ज' के अनुसार संलग्न प्रबन्ध विभाग उपरान्ती विभाग की अनुसार रु. 10/- के बदाय पेश पर सच्च वाली वाली की अनुसार द्वारा अन्यकी संलग्नी विभाग विभाग की संलग्नी विभाग उपरान्ती वाली</p>	

		अपनी संस्कृति विद्या विभाग के संबंधित हास्य उत्तमदीय वा स्वीकृत अधिकारी को निश्चिह्नित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।	अधिकारी को निश्चिह्नित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिमूले/वलत/अनुग्रह पाया जाता है, ऐसे छात्र/छात्राओं को बोक्षा डाटा सम्पूर्ण बदल दर्ताए हुए छात्रियों/सुख प्रतिष्ठित हेतु संस्कृति नहीं की जायेगी।
9	नियम-12(vi)	विद्या विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्कृत व पाठ्यक्रमों की प्रशान्तिकरण एवं आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात उत्तमता डाटा की हाई कार्ड एवं साल्फ़ लायी (सीटरी) अन्ती संस्कृति लक्षित निश्चिह्नित तिथि से पूर्व उत्तमता लक्षित समिति को प्रेषित की जायेगी।	विद्या विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्कृत व पाठ्यक्रमों की प्रशान्तिकरण एवं पाठ्यक्रम हेतु अनुग्रह सीटों के लाभेत आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात विद्या विभाग द्वारा आनंदानन डाटा की हाई कार्ड अपनी संस्कृति लक्षित निश्चिह्नित तिथि से पूर्व उत्तमता लक्षित समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।
10	नियम-12(vii)	जनपद चतुर पर सामान्य जारी दरामोत्तर उत्तमता की स्वीकृति हेतु जिन समिति गठित की जाती है— 1-विद्याधिकारी द्वारा नामित मुख्य विद्यास अधिकारी अथवा अपर विद्याधिकारी— अध्यक्ष 2-विद्या विद्यालय निरीक्षक— सदस्य 3-विद्या समाज कल्याण अधिकारी— सदस्य समिति यह समिति जनपदीय उत्तमता स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्रविधानों के अन्तर्गत जनपद चतुर पर उत्तमता लक्षित, जिसमें अनुसार भला एवं मुख्य लक्षित समिति भी सम्मिलित है, जो स्वीकृति द्वारा है, जो स्वीकृति द्वारा है।	जनपद चतुर पर सामान्य वर्ती दरामोत्तर उत्तमता की स्वीकृति हेतु जिन समिति गठित की जाती है— 1-विद्याधिकारी द्वारा नामित मुख्य विद्यास अधिकारी अथवा अपर विद्याधिकारी— अध्यक्ष 2-मुख्य/विद्यालय निरीक्षक— —सदस्य 3-विद्या विद्यालय निरीक्षक— — सदस्य 4-विद्या समाज कल्याण अधिकारी— — सदस्य समिति यह समिति जनपदीय उत्तमता स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्रविधानों के अन्तर्गत जनपद चतुर पर उत्तमता लक्षित, जिसमें अनुसार भला एवं मुख्य लक्षित समिति भी सम्मिलित है, जो स्वीकृति द्वारा है।
11	नियम-12(viii)	उत्तमता की विद्यालय के उपराजन संबंधित डाटा की हाई कार्ड एवं साल्फ़ लायी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उत्तमता स्वीकृति समिति की स्वीकृता आवेदन समिति निश्चिह्नित तिथि से पूर्व विद्या सूचना विभाग अधिकारी को द्वारा उत्तमता स्वीकृति के सम्पर्कोत्तर चतुर चतुर वर्ती को प्रोसेस कराकर निरीक्षक, राज्य सूचना	जनपदीय उत्तमता स्वीकृति समिति से उत्तमता/मुख्य प्रतिष्ठित ही विद्यालय के उपराजन विद्या समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विविध समिति के भावान से डाटा की आन साइन राखता उत्तमता लक्षित जायेगा। निरीक्षक द्वारा एनआईएली द्वारा राज्य इकाई से सम्बन्धित चतुर चतुर वर्ती माध्यम से आन साइन जनपदवार मान पर दीयार कराया जायेगा। विद्या समाज कल्याण अधिकारी अन साइन डाटा उत्तमता लाने से पूर्व इकाई

		पहली वार विवाह करने विवा जाएंगा।	अद्वैत-वार्षि वार विवाह करने विवा जाएंगा।
15	विवाह-12(1))	विवाह समाज अस्वामी व व विवाह चूपता विवाह अद्वैतिकी द्वारा साप्तसूक्ष्मीविवाह अनुसार भलता एवं युवता द्विवृत्ति की दरम विवाह की भवतीति प्रथम वरण में जनरोट करकर ऐवाइट पर अपलोड करकर विवीरित विवि के अन्दर नाम की जाएंगी तथा द्विवृत्ति विलीप वर्ण में गामन द्वारा विवीरित विवि की अनुसार भलता व युवत द्विवृत्ति के द्वय वरण का साप्तसूक्ष्मीविवाह एवं ऐवाइट पर साम्य चूपता विवाह को साप्तसूक्ष्मीविवाह द्वारा लकड़ा द्वारा लकड़ा कर दिया जाएगा।	विवाह विवाहक द्वारा द्वय वरण द्विवृत्ति की राहदोग वी अनुसार भलता एवं युवत द्विवृत्ति की नाम चूपता (जनरोट) करकर विवीरित विवि के अन्दर जगताती की लोगागार के भवताम वी द्वन्द्वाती अद्वैतिक एवं जाएंगी। द्वयक विवीरित वर्ण में द्वारा द्वारा विवीरित विवि पर ऐवाइट पर द्विवृत्ति की अनुसार द्वारा युवताम साक वर दिया जाएगा।
16	(विवाह-13(1))	साप्तसूक्ष्मीविवाह में अपलोड करने वाले वापसीति वरण की अवध वर साप्तसूक्ष्मीविवाह द्वारा दिये वर्णे अनुसारी के द्वारा अनुसार भलता एवं विवीरित। एवं युवत की भवतीति की द्वय विवाह विवीरित द्वारा के देख वरण में विवीरित विवि एवं विवाह समाज अस्वामी द्विवृत्ति द्वारा अवध अवधित भलता एवं जाएंगी। उस वर्ण के द्वय कोरेटर के वरण वरण अपलोड वर्णीय वर्णित वर्णीय वर्ण विवीरित होने के वरण अपलोड कोरेटर वे डेटा दिये वाले द्वारा चाहती ही युवती कोरेटर की युवत द्विवृत्ति की भवतीति द्विवृत्ति वरण में जनरोट करकर ऐवाइट पर अपलग से विवित साप्तसूक्ष्मीविवाह पर अपलोड करकर द्वारा द्वये पर विवेक, समाज करणाम वी वरण की जाएंगी। युवत द्विवृत्ति की वरण द्विवृत्ति वरण की भवतीति की द्वय ऐवाइट पर विवीरित विवि एवं वापसीति साप्तसूक्ष्मीविवाह पर अपलोड विवा जाएंगा व एक साप्तसूक्ष्मीविवाह की विवीरित विवि पर द्विवृत्ति की वरण की वरण द्विवृत्ति विवीरित अविव विवि	साप्तसूक्ष्मीविवाह द्विवृत्ति वर्ण के वरण विवाहात्म द्वारा द्वय वरण द्वयी एवं द्वन्द्वाती की लोग द्वय विवाहात्मी वी विवीरित वरण के अनुसार करकर विवाह की द्वय-वरण द्विवृत्ति के द्वारा आएर/आएर द्वय वी युवत/युवती एवं विवाह द्वयाती अद्वैतिकी द्वारा विवीरित विवि एवं वार द्वारा/द्वाराती के देख वर्ण वी वरण वरण अवधित वरण की जाएंगी।

		<p>एक जनपर्दी को द्वितीय तरीके जाएंगी। जिसी पी जनरल की पश्चात अनुसार भला व सुल्क प्रतिपूर्ति को बेस्टड्रॉट पर अवशोषित किया जाता अवशोषित हो, तो संवित प्रतरन में निवारण जनाज करवान उत्तर प्रदेश की अनुसूची के पश्चात उत्तर सूचना विषय के द्वारा उत्तर अपलोड की जाएगी की जाएगी।</p>	
17	नियम-13(v)	<p>सुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय चरण की वर्णनाएँ को जिस जनाज करवान अधिकारी द्वारा कवा जम्मव बह नार्ह के अन्त से सूर्ख घाजों के द्वारा जाती में अनुसिंह करवाई जाएंगी।</p>	<p>उत्तरप्रदेश एवं सुल्क प्रतिपूर्ति की वर्णनाएँ जास्ता द्वारा निर्धारित गिया रहा/एकाडमी के द्वारा जाती में सौंधे अनुरित रह दी जाएंगी।</p>
18	नियम-18(i)	<p>अन्य जननों में वित जान्याता रहा और अधिकारी संस्थानों में अनुसार उत्तर प्रदेश के सुल निवारणी घाजों की अनुसार भला एवं सुलक प्रतिपूर्ति की वर्णनाएँ की रखीकृति एवं वितरन का उत्तर प्रदेशिक विवरण के अनुसार विद्या जाएगा—</p> <p>(i) आज जिस जनरल का सुल निवारणी है, उसी जनरल की विस जनाज करवान अधिकारी को अनुकूलि आदेश पर संख्या द्वारा संलग्नि की रखीकृति द्वारा जाएगा। जिस जनाज करवान अधिकारी उत्तर पर अनुकूलि आदेश पर, संलग्नक संघरण प्रवाल परी की एवं साम्बन्धित उत्तर का रक्षणीय संक्षेप जनाजानेवाला रखीकृति एवं वितरन की जरूरतही इस विवरणी में अधिक व्यवस्थाओं की अनुसार उत्तर जनरल की अनुकूलि उत्तर उत्तरीकृति द्वारा जाएगी, जो नियम-12(vii) की अनुसार वित जीवी ही है।</p>	<p>अन्य जननों में वित जान्याता ग्रामीणीक संस्थानों में अनुसार उत्तर प्रदेश के सुल निवारणी घाजों की अनुसार भला एवं सुलक प्रतिपूर्ति की वर्णनाएँ की रखीकृति एवं वितरन का उत्तर प्रदेशिक विवरण के अनुसार विद्या जाएगा—</p> <p>(i) अन्य उदासों में अनुसार उत्तर प्रदेश के सुल निवारणी संसाधन वर्ग की विद्या दरकारीतर उत्तरप्रदेश एवं सुलक प्रतिपूर्ति द्वारा अनुसार भला एवं सुलक प्रतिपूर्ति की वर्णनाएँ की रखीकृति द्वारा उत्तरप्रदेशनुसार ही होगी। आज/एकाडमी द्वारा उत्तर प्रदेश पर इन्टरफैट के बदले से अनुसार विवरण एवं एक एक जाएगा। आज/आजाद्वारा जानकारी द्वारा जानकारी की अनुसार सही-सही पर कर उत्तर प्रदेश विद्या जाएगा। भला की सुझावा का सूर्ख उत्तरादायिल आज/आजाद का होगा। अनुसार अधिक आदेश पर के विद्या जारी की जाए रखीकृति एवं अनुसार उत्तर प्रदेशको उत्तर प्रदेश एवं अनुसार एवं उत्तर प्रदेश संस्थानों द्वारा विवरण जारी की जाएगी। आज/आजाद की उत्तर प्रदेश की जाएगी। आज/आजाद द्वारा</p>

सुनील कुमार
प्रभुता सहित

पृष्ठांत्तमा-५६३/ 26-1-2013 तददिनोक:-

प्रतिविधिपि निम्नलिखित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयितः-

१. प्रमुख सचिव, दिल्ली/नियंत्रण/न्याय/उच्च रिक्षा/प्राविधिक रिक्षा/मालामिल रिक्षा/व्यावसायिक रिक्षा/विकिस्ता रिक्षा/कृषि रिक्षा विभाग, ८०३० शासन।
२. महालेखाकार, ८०३०, इलाहाबाद।
३. राज्य सूचना विभाग अधिकारी, एनआईसी०, ८०३० लखनऊ को इस निर्देश के लाभ कि इसकी प्रतियोगिता समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मैल के माध्यम से भेजी तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
४. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विभाग, ८०३०, लखनऊ।
५. समस्त नायकीय संघर्ष/उपनिदेशक, समाज कल्याण, ८०३०।
६. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
७. निदेशक, कोषागार, जयाहर भवन, लखनऊ।
८. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, ८०३० शासन।
९. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३, ८०३० शासन।
१०. गार्ड फाइल।

अमृता देव,
(मार्गदर्शीकल्याण)
उच्चसचिव

उत्तर प्रदेश राजसन,
समाज कल्याण अनुभाग-३
संख्या-१५६४/२८-३-२०१३-४(३५६)/०७-टी०सी०-२
लाखनऊ : दिनांक ०२ दिसम्बर २०१३

कार्यालय-झाप

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/गुरुक प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में माठ संत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय झाप संख्या-२२०७/२८-३-२०१२-४(३५६)/०७-टी०सी०-२, दिनांक- २८.०९.२०१२ हुआ “उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-२०१२” निर्गत की गयी है तथा कार्यालय झाप संख्या-३१/२८-३-२०१३-४(३५६)/०७-टी०सी०-२, दिनांक ०२.०७.२०१३ हारा उक्त नियमावली के कारणपय प्रस्तरों को संशोधित किया गया है। निदेशक, रामाज कल्याण के पात्र संख्या-२६६३/सक/शिक्षा-३५/२०१३-१४, दिनांक-१०.१०.२०१३ के माध्यम से प्राचा राज्याओं पर सम्बन्धित विद्यारोपरान्त उक्त नियमावली के निम्न प्रस्तरों को संशोधित(हितीय संशोधन) करते हुये निम्नत् घटकाया प्रतिस्थापित की गयी है:-

क्र० सं	नियम संख्या	परिवर्तन नियम	प्रतिस्थापित नियम
१	नियम ६ (vii) (प्री शीट)	“ऐक वर गाँववे निकौ दैक्षि राष्ट्रीयकृत अनुसूचित ऐक व कोरीकृत दैक्षिण दैक से है, जिसमे कोर दैकिय वी सुविधा उपलब्ध हो।	“ऐक वर गाँववे दैक्षिण राष्ट्रीयकृत दैक १९४० हारा विभिन्नीकृत ऐक्स अनुसूचित एक्स्ट्राकृत दैक से है, जिसमे कोर दैकिय एवं NBFT /RTGS के गाँववा से अन्तरिक्ष अन्तरान की सुविधा उपलब्ध हो।
२	नियम ६ (ix) (प्री शीट)	केन्द्र अवया राज्य के राज्य प्राधिकारी राज ले अधिकृत प्रवेश परीक्षा के आधार से या शीरिट वी नियमीकृत प्रक्रिया के आधार पर अन्यत्री हारा भरी गयी शीट।	केन्द्र अवया राज्य के राज्य प्राधिकारी राज ले अवदानिक/ लाकानीकी/ शीरिट वाद्यकारी मे अधिकृत दैक्षिण परीक्षा के आधार पर कार्यालयित के गाँववा से उपलब्ध अन्यत्री हारा भरी गयी शीट वा इन्हरमीडियट एवं और लाकानीकी/ लैन्कानीकी/ गैर शीरिट वाद्यकारी मे नियमीकृत प्रक्रिया के आधार पर भरी गयी शीट।
३	नियम ६ (x) (प्री शीट)	केन्द्र अवया राज्य के राज्य प्राधिकारी राज ले अधिकृत प्रवेश परीक्षा से इतार अवया प्रवासीकृत लोटे एवं राज्य पिल पोकित वाल्टराम जाति मे भरी गयी शीट।	केन्द्र अवया राज्य के राज्य प्राधिकारी राज ले अवदानिक/ लाकानीकी/ शीरिट वाद्यकारी मे अधिकृत प्रवेश परीक्षा के आधार पर कार्यालयित से इतार अवया प्रवासीकृत लोटे एवं

		अप्यर्थी द्वारा जमा किए गये अधोदान पत्र में संख्या अन्य लिखि त निकाल प्रकाशन पत्री का भव भवायात्मा दातार निकाल की बोलाईट सेक्यूरिटी के द्वारा द्वारा आदेनी को दूरान की जाएगी।
7	नियन-12(iii)	<p>अप्यर्थी द्वारा जमा किए गये अधोदान पत्र में संख्या अन्य लिखि त निकाल प्रकाशन पत्री का भव भवायात्मा दातार निकाल की बोलाईट सेक्यूरिटी के द्वारा अन्य प्रकाशन पत्री का निकाल प्रकाशन पत्री से निकाल प्रकाशन करते वह गठित समिति द्वारा किया जायेगा, निकाले किए निकाल पत्री की दूरी लाइट की उत्तराधारी होती है। अधोदान पत्र के साथ संख्या अधिकारी का निकाल किये जाने की उपलब्धता तक एवं अधोदान पत्री का अनुसार भाला व दूरी की उत्तराधारी की नीतिकृति हेतु संख्या दाता पर गठित निकाल समिति द्वारा बीजादी।</p> <p>1—संख्या प्रभुत्व/निकालक /भाषणी/दूराधारी— अधोदान 2—संख्या के वरिष्ठतम प्राप्ताधारक —संख्या 3—संख्या के वरिष्ठतम अनुसारी की उपलब्धता— संख्या</p> <p>अप्यर्था संख्या के वरिष्ठतम अन्य निकाल हरी की प्राप्ताधारक (अनुसारी) का लोई भी प्राप्ताधारक उपलब्ध न होने की दरता है।</p> <p>अप्यर्था उस संख्या का निकाल निकाल प्रकाशन के बोई भी प्राप्ताधारक (अनुसारी) एवं अन्य निकाल हरी का लोई भी प्राप्ताधारक न होने की दरता है।</p>
8	नियन- 12 (iv)	<p>उपरोक्त समिति पर संस्कृत छात्रों का निकाल निकाल हरी का लोई भी प्राप्ताधारक का लोई भी प्राप्ताधारक के बोलाईट सेक्यूरिटी का लोई भी प्राप्ताधारक (अनुसारी) एवं अन्य निकाल हरी का लोई भी प्राप्ताधारक न होने की दरता है।</p> <p>उपरोक्त समिति द्वारा हास्त्रा घासों का निकाल निकाल हरी का लोई भी प्राप्ताधारक करने का एक उल्लंघनित सम्बन्धित संख्या द्वारा जान लाने कीड़े अधोदान पत्र का निकाल अर्थ (उपरोक्त संख्याओं सहित), अन्य सदृश संख्याओं निकाल ही होते होते, वरिष्ठतम 'ए' के अनुसार भवायात्मा दातार वह लोई लोईष्ट का के अनुसार रु० 10/- के साथ परिषिष्ट 'ए' के अनुसार</p>

		सरकारी इकाय पर सदा फिल्मों के अनुमति करें 10/- के रकम पर एवं तपश पर सहित संस्था के द्वारा द्वारा अपनी संस्थानी विज्ञा विभाग के संबंधित उपलब्ध कारबोरो या कौटीय अधिकारी को नियोजित रिहिंग तक उपलब्ध कराई जायेगी।	एवं तपश पर जाहिंत संस्था के अनुमति द्वारा अपनी संस्थानी विज्ञा विभाग के संबंधित उपलब्ध कारबोरो या कौटीय अधिकारी को नियोजित रिहिंग तक उपलब्ध कराई जायेगी। यिन चार/ चारोंसे एक काटा प्रतिश्वास/ बरसा/ अनुमति का दाता है, दो चार/ चारोंसे एक संस्था द्वारा संन्योगित उपलब्ध कराई द्वारा प्रतिश्वास/ बरसा प्रतिश्वास द्वारा संलग्नी नहीं जायेगी।
9	नियम- 12 (vi)	विज्ञा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था एवं पाठ्यक्रमों की इकायीकरण एवं अदेशों की संस्था का विभाग विज्ञा जायेगा। इसके परवान उन्नीसत दाता की हाई कार्ड एवं पाठ्यक्रम अधिकारी (सीईडी) अपनी संस्थानी संहित नियोजित रिहिंग से पूर्व आवश्यक संवैधानिक रिहिंग संभिति को प्रेसिडेंट की जायेगी।	विज्ञा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था एवं पाठ्यक्रमों की इकायीकरण एवं पाठ्यक्रम हेतु अनुमति दीनी के साथ अदेशों की संस्था का विभाग विज्ञा जायेगा। इसके परवान विज्ञा विभाग द्वारा अनलाइन दाता की हाई कार्ड अधिकारी संस्थानी संवैधानिक रिहिंग नियोजित रिहिंग से पूर्व आवश्यक संवैधानिक रिहिंग संभिति को परवान दाता की जायेगी।
10	नियम- 12 (vii)	उपरवार द्वारा पर अनुमति दीनी/अनुमति उपलब्धी उपलब्धी दाता अदेश प्राप्तवृत्ति की संवैधानिक हेतु विज्ञा रिहिंग रिहिंग की दाती है— 1-विज्ञापिकारी द्वारा नामित मुख्य विभाग अधिकारी अथवा अपर विभागीयाँ— अवधार 2-विज्ञा विभाग विभाग —सदरमय 3-विज्ञा विभाग उपलब्धी अधिकारी —सदरमय संचित यह रिहिंग उपलब्धीय प्राप्तवृत्ति विभागीय अधिकारी रिहिंग की जायेगी, जो इस विभागीय के प्राधिकारी के अन्तर्गत उपरवार द्वारा पर आवश्यक विज्ञा अवधार दाता एवं मुख्य रिहिंग संभिति की संवैधानिक हेतु जायेगी।	उपरवार द्वारा पर अनुमति दीनी/अनुमति उपलब्धी उपलब्धी दाता अदेश प्राप्तवृत्ति की संवैधानिक हेतु विज्ञा रिहिंग रिहिंग की दाती है— 1-विज्ञापिकारी द्वारा नामित मुख्य विभाग अधिकारी अदाता अपर विभागीय— अवधार 2-सदरमय/विभागीय अधिकारी— सदरमय 3-विज्ञा विभाग विभाग विभाग 4-विज्ञा दाता उपलब्धी अधिकारी — यह रिहिंग उपलब्धीय प्राप्तवृत्ति विभागीय अधिकारी रिहिंग की जायेगी, जो इस विभागीय के प्राधिकारी के अन्तर्गत उपरवार द्वारा पर आवश्यक विज्ञा अवधार दाता एवं मुख्य रिहिंग संभिति की संवैधानिक हेतु जायेगी।
11	नियम- 12 (viii)	आवश्यक रिहिंग संभिति के उपलब्ध संवैधानिक दाता की हाई कार्ड एवं साप्तर दाती विज्ञा विभाग उपलब्ध अधिकारी द्वारा आवश्यक संभिति की संवैधानिक रिहिंग रिहिंग से पूर्व विज्ञा सूचन विभाग अधिकारी को प्राप्त कराई जायेगी। विज्ञा सूचना विभाग	उपरवार आवश्यक संभिति रिहिंग से पूर्व आवश्यक संभिति की संवैधानिक रिहिंग/सूचना रिहिंग संभिति की संवैधानिक रिहिंग उपलब्ध दाता विज्ञा विभाग विभाग के संबंधित उपलब्ध कारबोरो या कौटीय अधिकारी द्वारा विज्ञा विभाग विभाग के संबंधित उपलब्ध कारबोरो या कौटीय अधिकारी को नियोजित रिहिंग तक उपलब्ध कराई जायेगा। विभागीय द्वारा एन्डोर्डेंसी दी राज्य दूर्वार्थ संभिति के उपलब्ध दाता विज्ञा विभाग विभाग के संबंधित उपलब्ध कारबोरो या कौटीय अधिकारी को नियोजित रिहिंग तक उपलब्ध कराई जायेगा।

		अधिकारी द्वारा प्राप्ति के साथ-समेकर एवं उत्तर को दोस्रे संकेतकर निर्देशक, उपर्युक्त सूचना विज्ञान क्षेत्र, दोजना भवन, अधिकारी के माध्यम से आवश्यक इकाई ग्रामीणी की पेंचाइट एवं अधिकारी द्वारा जारी।	अब लाइन जनयदार नाम पत्र द्वारा काला जारीग। जिस लाइन काला अधिकारी अब लाइन उत्तर सूचना काले से पूर्व प्रत्येक छात्र-छात्रा के बिन उत्तर एवं बिन लाला के आईपीफोनो कोड एवं निलान कर देते। अब लाइन जनयदार खोय सूचित होने के उपरान्त निर्देशक द्वारा उत्तर की संपत्तिकाला के अनुसार आवश्यक एवं सूचक इकाई अधिकारी द्वारा से जनरली के अधिकारी की जारीगी।
12	नियम- 12 (x)	अधिकारी को अनुसार अनुसार भवता एवं सूचक इकाई की अवसरी नियमिक संसदा के सभीप्रथम नियत देके ने जारी गये उपरोक्त उत्तर जाते में दीये अन्वरित की जारीगी। सूचक इकाई की अवसरी एवं भुगतान प्रति एवं या नियोजित अन्वरित एवं दीजा की लालू हो, जिस जारीगा। अधिकारी को सूचक इकाई की अवसरी उपरोक्त जाते में दीये होने के 15 दिन के अन्दर नियम गतिरुप की जगह करना अनिवार्य होगा।	अधिकारी को अनुसार अनुसार भवता एवं सूचक इकाई की अवसरी नियमिक संसदा के सभीप्रथम नियत देके में दीये उपरोक्त उत्तर जाते में दी-पेमेंट (e-payment) नियम के द्वारा NEFT/RGOS के बाह्यम से अन्वरित की जारीगी। सूचक इकाई की अवसरी एवं भुगतान प्रति एवं या नियोजित अन्वरित एवं दीजा की लालू हो, जिस जारीगा। अधिकारी को सूचक इकाई की अवसरी उपरोक्त जाते में दीये होने के 15 दिन के अन्दर नियम गतिरुप की जगह करना अनिवार्य होगा।
13	नियम-12 (xi)	देशी एवं यह चालाकारपिता होगा कि उनको उपरान्त कराई गई अवसरी जाप्य से छात्रों के देख जाते में इच्छान्वान्वित करे, यदि जिसी वर्तमान अवसरी अवधीन एह जाती है तो उन्हें उपरान्त विज्ञान के जोड़ना एवं उत्तरांत में गतिरुप उपरान्त करना भुगतानित किया जाएगा तथा यापत्ति की जा रही अवसरी का छात्रकार पूर्ण विवरण जिस उत्तर सूचना कालान्तर अधिकारी को उपरान्त करना जाप्य जाएगा। जिस उत्तर के द्वारा अवसरी की विवरण एवं उत्तरान्त अधिकारी को अवधीन के निर्दिष्ट लाइन के सभी उत्तर सूचना कालान्तर एवं उत्तर सूचनाओं का विवरण करना जाएगा। इस उत्तरान्त को विवरण करना हुए जिस उत्तरान्त कालान्तर अधिकारी पूरीतया उत्तरान्ती होगी।	इस नियमान्वयी के प्रतिवर्णी के अन्वरित एवं छात्र-छात्रा की आवश्यक / सूचक इकाई अवसरी एवं उत्तरान्त अधिकारी के देख जाते में उत्तर जारीगार हो एवं-पेमेंट (e-payment) नियम के द्वारा NEFT/RGOS के बाह्यम से दीये अवसरी की जारीगी विज्ञान दीजा एवं सूचक इकाई की अवसरी जारीगी। एह जिस उत्तरान्त के अन्वरित अवधीन एवं दीजा की लालू हो, जिस जारीगा। अधिकारी को देख जाते में दीये होने के 15 दिन के अन्दर नियम गतिरुप गतिरुप की जगह करना अनिवार्य होगा।
14	नियम- 12(i)	संसदा के अन्वरित अधिकारी को संसदा में अव्याहनित अधिकारी को	

		<p>सालन द्वारा नियांरित अंतिम तिथि तक प्राप्तवृत्ति आवेदन—पर जमा करना होगा। अतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन—परी पर विचार नहीं किया जायेगा।</p>	<p>सालन द्वारा नियांरित अंतिम तिथि तक आगलाइन प्राप्तवृत्ति आवेदन—पर भरना होगा। अतिम तिथि से पश्चात भरने वाले आगलाइन प्राप्तवृत्ति आवेदन—परी पर विचार नहीं किया जायेगा।</p>
15	नियम-13(ii)	<p>विला समाज कल्याण अधिकारी व विला शूद्रना विकास अधिकारी द्वारा सलायनीयरात्रि अनुसूचना भरता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वारा विकल की घटनाकाल द्वारा बहल में जनरेट करावार पेक्षण्डूट पर असलोड करावार नियांरित तिथि के अन्दर नांग की जायेगी तथा प्रतीक विलीय दर्वे में सालन द्वारा नियांरित तिथि की अनुसूचना भरता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वारा बहल का साफ्टवेयर एवं ऐवेसाइट की राज्य सूचना विकल छेन्डू लखनऊ द्वारा साल का वर दिया जायेगा।</p>	<p>विला विधायक द्वारा राज्य सर्वीय एन्डआईसीओ के साहयोग से अनुसूचना भरता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वार्ष सूचित (जनरेट) करावार नियांरित तिथि के अन्दर उपयोगी को कोविनार के माध्यम से घनतात्त्वी अवधित की जायेगी। आवेदन विलीय दर्वे में सालन द्वारा नियांरित तिथि पर ऐवेसाइट की एन्डआईसीओ लखनऊ द्वारा रूलिया लाक कर दिया जायेगा।।</p>
16	नियम-13(ii).	<p>एन्डआईसीओ में असलोड करते हो गये प्राप्तवृत्ति द्वारा के अवार पर साफ्टवेयर द्वारा दैवार दिले गये अनुसूची के द्वारा अनुसूचना भरता एवं नियांरित देश शुल्क की घटनाकाली की द्वारा विकल संबंधित भाजे के दैव खाते के नियांरित तिथि तक विला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवश्य अन्तरित करा दी जायेगी। उस दर्वे के प्रधम सेमेस्टर के पश्चात परीक्षा अवधा अनुसूचिक दर्शक अट्टी में स्थानित होने के पश्चात अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले भाजे द्वारा भी दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की घनतात्त्वी द्वितीय दर्वे में जनरेट करावार ऐवेसाइट पर असल दो नियंत्रित साफ्टवेयर पर असलोड करावान प्रदर्शित होने पर नियेकाक, समाज कल्याण से नांग ही जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की दौवाल द्वितीय दर्वे की घटनाकाल द्वारा वियांरित तिथि तक सभी संबंधित साफ्टवेयर पर असलोड किया जायेगा व उसक साफ्टवेयर की नियांरित तिथि पर एन्डआईसीओ लखनऊ द्वारा रूलिया लाक कर</p>	<p>उल्लासमात्र आगलाइन सूचित वार्ष के साथी नियेकाक द्वारा सापत्ता करनायी गई घनतात्त्वी की सीमा तक नियमावली में वर्णित करीकाता कम के अनुसार कोविनार की ई-टेक्नेट प्रक्रिया के तहत NEFT/RGTS के माध्यम से ग्रुप/वर्गित कीर्तिकारी एवं विला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियांरित तिथि तक वार भाजे/छात्राओं के दैव खाते में घनतात्त्वी अवश्य अन्तरित कर दी जायेगी।</p>

		<p>वित्त जारीना। दूसरीं बातें की नगर की वनस्पति विवरण और उन विविध लकड़ एवं उपकरणों की प्रेक्षण की जायेगी। विशेष भी उनपर जी जोक छाटा आहि हो निवारण की परवान अनुसारण भवता एवं सुख इतिहासी की वेवराइट पर अवशीष्ट वित्त जारा अवशीष्ट हो, तो वास्तविक उत्तराखण में विवरण, वास्तव कामयान वकार द्वारा की अनुस्पति की परवान राज्य सुखना विवान कीन्ह द्वारा अपारीष की वायेवाई की जायेगी।</p>
17	विषय-13(v)	<p>सुख इतिहासी की दृष्टीय वरण की वनस्पति की वित्त जारीन वास्तव कामयान अविकल्पी द्वारा दक्ष सम्बद्ध नाह जाई हो अनु रो पूर्व छाटो के दैक जाई हो अवशीष वायेवाई जायेगी।</p>
18	विषय-18(i)	<p>अन्य द्रावों में वित्त जारीन वापत वैविधिक संस्कारों में अवधारणत कामर द्वारा के सुख विवानी घासी की अनुसारण भवता एवं सुख इतिहासी की वनस्पति की वायेवाई एवं स्वीकृति एवं विवान का जारी विनाशित व्यवाचा के अनुसार वित्त जायेगा—</p> <p>(i) भाज वित्त जारीन वापत की वित्त वनस्पति है, जहाँ उनपर जी वित्त जारीन वास्तव कामयान अविकल्पी को वायेवाई अवैदेन एवं संस्का द्वारा संस्कृत लक्षित थेजा जायेगा। वित्त जारीन वास्तव कामयान अविकल्पी लार पर छालहासी आवेदन परी, संस्कृत वायेवाई इमान परी एवं ताम्बाखित भाज का वायेवाई रूपरीय वायेवानीवाचन स्वीकृति एवं विवान की वायेवाई इस विवानी में अविकल्प वायेवाजों के अनुसार द्वारा उनपर जी वायेवासी अवैदेन वायेवाई द्वारा की जायेगी, जो विषय-13(vii)) के अवशीष वायेवाई की वादी है।</p> <p>(ii) अन्य द्रावों में अवधारणत उत्तर द्वारा के सुख विवानी अनुसृति वायेवाई वायेवानी द्वारा/धाराजी के विवेद वायेवान द्वारा इति एवं सुख इतिहासी द्वारा अनुसारण आवेदन वापत की विवानी की उपरोक्तामुकार होगी। भाज/धारा द्वारा दक्ष जारी वायेवान वापत इन्टरवेट के वायेवान से अनुसारण वैविधित "ए" पर वापत जायेगा। भाज/धारा द्वारा दक्ष वायेवाई द्वारा की अनुसारण लक्षी-जही भाव का वायेवान विष्ट आफ्ट वित्त जायेगा। बाटा जी सुखदाता का पूर्व उत्तराधिकार भाज/धारा वापत होगा। अनुसारण वैविधित अवैदेन वापत की विष्ट उत्तर वायेवाई वायेवाई वायेवाई "ए" के अनुसार उपर एवं वायेवाई वायेवाई विवान वायेवाई में विविध अविकल्प विविध वापत भाज/धारा द्वारा जारा वित्त जायेगा विवानी वायेवाई विविध वायेवाई</p>

सुनील चूलार
सुरुचि लक्ष्मिय

पुत्रांश्या-१५८७ / २०-१-२०१३ राजदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाव एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेसिड़—

१. इमार संधिय, विला/नियोजन/स्टाश/उच्च निकाय/प्राधिकारिक निकाय/मानविकील निकाय/व्यावसायिक निकाय/प्रिवेट निकाय/कृषि निकाय विभाग, ८०३० शासन।
२. बहालेखाकार, ८०३०, इस्ताहाकार।
३. उच्च सूचना विभाग अधिकारी, एनडआईएसी०, ८०३० लखनऊ को इस निर्देश के तात्पर कि इसकी प्रतियोगी समस्त निलगिकारी एवं भाष्टलायुक्त को है-गैर के नामांग से ऐसी तथा समाज कल्याण विभाग यी बैंबलाइट पर अपश्वीत करें।
४. निर्देशक, समाज कल्याण/जननसतीष विभाग, ८०३०, लखनऊ।
५. समस्त नगरसभीय शिक्षक/उच्चनिर्देशक, समाज कल्याण, ८०३०।
६. समस्त निकाय समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
७. निर्देशक, कोथागार, उत्तराहर भवन, लखनऊ।
८. सालाहकार, समाज कल्याण विभाग, ८०३० शासन।
९. विला(घटन-नियंत्रण) अनुभाग-३, ८०३० शासन।
१०. नाई काइल।



आमा
A.

(आमोदीकल्याण)
उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
संख्या: 637 / 64-2-2013-1(आज्ञालित) / 2013
लागूनका दिनांक १० नवम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए दशानोलार कक्षाओं हेतु आज्ञालित तथा शुल्क प्रतिशूर्ति हेतु "उत्तर प्रदेश ज्ञाप पिछड़ा वर्ग (अल्प संख्यक पिछड़े वर्ग की छोड़कर) दशानोलार आज्ञालित/शुल्क प्रतिशूर्ति विवरावती, 2012 कार्यालय ज्ञाप संख्या: 11-1(आज्ञालित) / 2013 / 64-2-2013 दिनांक 08 जनवरी, 2013 द्वारा जारी की गयी है, जो शैक्षिक सत्र 2012-13 से प्रभावी है।

2- निर्देशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र संख्या: 1641 / पिठौरगढ़ / 2013-14 दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 द्वारा योग्यनालयात पात्र छात्र/छात्राओं से ऑफलाइन आवेदन पत्र भरते जाने एवं कलीपया अन्य आवश्यक संशोधन किए जाने सम्बन्धी उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के तहम में उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 जनवरी, 2013 के प्राक्षिकानों को सातकालिक प्रभाव से नियन्त्रित संशोधित किया जाता है:-

प्रतिमान नियम			प्रतिरक्षाप्रित नियम		
क्र.	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्प संख्यक पिछड़े वर्ग की छोड़कर) दशानोलार आज्ञालित/शुल्क प्रतिशूर्ति विवरावती, 2012 कार्यालयी।	क्र.	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्प संख्यक पिछड़े वर्ग की छोड़कर) दशानोलार आज्ञालित/शुल्क प्रतिशूर्ति (हितीय संख्यावती) विवरावती, 2013 कार्यालयी।
4	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्रारम्भ यह चुल्हा, 2012 से प्रारम्भ होने वाले विभाग वात्र से लागू होने।	4	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्रारम्भ यह चुल्हा, 2013 से प्रारम्भ होने वाले विभाग वात्र से लागू होने।
5(ii)	राज्य सरकार	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।	5(ii)	राज्य सरकार	योग्यता
			(ii)	नियमावली	"नियमावली" का तात्पर्य विभाग वर्ग कल्याण
			(iii)	व	

					निर्देशनमय उत्तर प्रदेश से है।
s(vi)	देक	"देक" का उत्तराधीन विली ऐसे राष्ट्रीयकृत अनुसूचित देक या लोकीय वास्तविक देक से है, जिसमें कोर वैकेन की सुनिश्चित उपलब्धता हो।	s(vi)	देक	"देक" का उत्तराधीन विली ऐसे राष्ट्रीयकृत 1949 द्वारा निर्मित विली ऐसे अनुसूचित वास्तविक देक से है, जिसमें कोर वैकेन एवं MELFT/MRTGS के बाबत से वास्तविक अनुसूचित की सुनिश्चित उपलब्धता हो।
s(vii)	की सीट	केन्द्र अधिकारी राज्य के वकालत प्रतिवादी कानूनी विवेद विवेद विवेद की विविहित विवेदों के अन्तर पर अन्यथी हासा भवी वही सीट।	s(vii)	की सीट	केन्द्र अधिकारी राज्य के वकालत प्रतिवादी कानूनी विवेद विवेद / लकड़ीखी / लैटिकल वाट्वाक्षरों में अन्योनित विवेद विवेद के अन्तर पर विविहितिविवेद के वकालत से भवी वही सीट या इन्हें विवेद विवेद कानूनी विवेद / लकड़ीखी / लैटिकल वाट्वाक्षरों में विविहित विवेद के अन्तर पर भवी वही सीट।
s(ix)	देह सीट	केन्द्र अधिकारी राज्य के वकालत प्रतिवादी कानूनी विवेद विवेद विवेद की वही सीट जो विविहित विवेद विवेद के अन्तर पर अन्यथी भवी वही सीट।	s(ix)	देह सीट	विविहित / वैर वास्तविक वाट्वाक्षरों में वकालत विवेद विवेद के अन्योनि वही सीट या केन्द्र अधिकारी राज्य के वकालत प्रतिवादी कानूनी विवेद / लकड़ीखी / लैटिकल वाट्वाक्षरों में अन्योनित विवेद विवेद (विविहितिविवेद) से इतर विवेद सीट वही सीट विवेद विवेद विविहितिविवेद सीट से भवी वही सीट।
7	मूल निवास का अनुसन्धान वास्तव	मूल निवास के वकालत में अवैदेक के निवास की वास्तविक के उपजिलाविकारी के साथ से वासी निया गया "राज्याधीन निवास प्रणाली-प्रव वाचन" होता, जो वास्तव विवेद की विवेदाहट पर अनिवार्य काय से उपलब्ध	7	मूल निवास का अनुसन्धान वास्तव	उत्तर प्रदेश में अन्यवासन आद विवेद वासी के अन्यथी के विवेद दसवालार अवैदेक हेतु अग्रसाइन विवेद अवैदेक पर ही विवेद आहट के साथ वास्तव वासी विवेद पर में अन्यथी के निवास के अंकन होने पर पूरक से वास्तव

		हो।			निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। प्रदेश के साहर दलभौलार लकड़ी में अधिकारी छात्रों के लिये दलभौलार घाटकुलि के आवेदन पत्र के साथ संस्थान निवास प्रमाण पत्र (जो प्रदेश की लिपि से लिख वर्ष से अधिक पुराना न हो) संस्थान करना अनिवार्य होता है औ आवेदक के निवास की लाहसूल के उपरिलिखितकरी के साथ से जारी किया गया हो एवं राजसव चरिकट प्र०८० की लेबलाइट पत्र लगता है।
11 (iv)	छात्र को घाटकुलि व सुल्क प्रतिष्ठानी के भुगतान हेतु लिखन संस्थानी की वरीयताकृत का नियांन	(v) नियों के देश संस्थान जिनकी सुल्क संस्थान केंद्र अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संस्थानी पाठ्यक्रम की सुल्क संस्थान द्वारा नियोंकी किंवा जाने हेतु अधिकृत है उनमें अधिकारी छात्रों को सुल्क प्रतिष्ठानी पाठ्य आवत प्रथम पाठ्य व्यवस्थानुसार कर्जट की व्यवस्थाएँ की रखी रखा।	11 (iv)	छात्र को घाटकुलि व सुल्क प्रतिष्ठानी के भुगतान हेतु लिखन संस्थानी की वरीयता का नियांन	(vi) नियों के देश जिनकी सुल्क संस्थान केंद्र अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संस्थानी पाठ्यक्रम की सुल्क संस्थान द्वारा नियोंकी किंवा जाने हेतु अधिकृत है।
			नोट-५		उपरोक्त वरीयता का ऐसे बजट की उपलब्धता के अनुसार बनाती दिलाइ वी जायेगी। एक वरीयता कम के समझ छात्र/छात्राओं की दिलाइ की व्यवस्था ही बजट की उपलब्धता की लीक तरह अगते वरीयता छात्र की छात्र/छात्राओं की बनाती दिलाइ की जायेगी। यह कम (ii) से (v) तक जारी रहेगा। वरीयता कम की अन्दर छात्रों की व्यवस्था की उपलब्ध नियन्त्रित रहेगा।

1- सार्वजनिक उत्तराधिकारी एवं मुल्क अधिकारी का भुगतान छात्र/छात्राओं के परिवार की कुल वार्षिक आय के अनुसार पर विद्या जापेना जिसमें लकड़ी का आय वाले परिवार के छात्र/छात्र वही लकड़ी पहले छात्राधिकारी/ मुल्क अधिकारी का वितरण किया जायेगा तत्परतात् छात्र/छात्र के परिवार की कुल वार्षिक आय के बहारे हुए इन (अवैधी कम)में वितरण किया जायेगा।

2-छात्र/छात्राओं के परिवार की कुल वार्षिक आय एक समान होने की दशा में अधिकी की आय की वरीयता दी जायेगी जिसमें लकड़ी अधिक आय के छात्र/छात्राओं के लकड़ी वाले दिया जायेगा तत्परतात् छात्र/छात्र की आय के घटते हुए इन (अवैधी कम) में वितरण किया जायेगा।

3-इसके पश्चात भी यदि कई अधिकी एक समान परिवार की कुल वार्षिक आय एवं आय में समान होती है तो छात्र/छात्र की नाम के अनुसारिक इन में (A to Z) छात्राधिकारी एवं मुल्क अधिकारी की वरीयती का वितरण किया जायेगा।

अब के अधिकार वर तत्परतात् करते रहने वह यानि इस जायेगा कि सम्पर्क प्रदेश में तत्परतात् होने वाले छात्र/छात्राओं की वरीयती की आय एक समान हो।

V-

दलभोलर छात्राधिकारी एवं मुल्क अधिकारी योगदानानंतर इसका वरीयतात्व वै सम्पूर्ण वाहनाकाम के संग्रह—IV(वितरण)

12(i)	दामोदर छात्रवृत्ति एवं सुलक प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया	इस लेजना में आई छात्रों को सम्बन्धित विवाद संस्थान द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की विवादानुसार फीस/सुलक का अनुसार समय लगना होगा। इस विवादाली/प्रोजेक्ट में विवादानुसार प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा के अन्तर्गत एवं विवादाली की प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/सुलक प्रतिपूर्ति विवादानुसार छात्र/छात्रा के द्वारा खाते में Reimbursement की जायेगी।	12 (i)	दामोदर छात्रवृत्ति एवं सुलक प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया	इस लेजना में आई छात्रों को सम्बन्धित विवाद संस्थान द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की विवादानुसार फीस/सुलक का अनुसार समय लगना होगा। इस विवादाली/प्रोजेक्ट में विवादानुसार प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा के अन्तर्गत एवं विवादाली की प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/सुलक प्रतिपूर्ति विवादानुसार छात्र/छात्रा के द्वारा खाते में जनरेट कोशिश गोईपेमेंट (e-payment) प्रक्रिया के द्वारा NEFT/RTGS के माध्यम से प्रतिपूर्ति (reimburse) की जायेगी।	
12 (ii)	दामोदर छात्रवृत्ति एवं सुलक प्रतिपूर्ति की व्यवस्था प्राचा कान्ते हेतु पात्र एवं परिसीट 'ए' पर संस्थान विवादित आवेदन प्रब्रह्म एवं सुलभार्य भरकर दो प्रतिव्यं परिसीट 'ए' के अनुसार सभी दातित संस्थानकी सहित परिसीट 'ए' के अनुसार सभा-पात्र सम्बन्धित विवाद संस्था में विवादित अनिमय तक प्रस्तुत करेगा। विवादी पात्री विवादित प्रपत्र परिसीट 'ए' के अनुसार विवाद संस्थान	12 (ii)			अन्य प्रियदेव वर्ग (अन्य संस्थान विवाद वर्ग की प्रतिक्रिया) दामोदर छात्रवृत्ति एवं सुलक प्रतिपूर्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पात्र परिसीट 'ए' पर इन्टर्व्हैट के माध्यम से अन्वेषण चरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रतिव्यंसो को अपने साड़े सही-सही पर कर उत्तम क्रिएट आउट लिया जायेगा। तदोपरान्त क्रिएट आउट के साथ आवश्यक फैलपॉइंट परिसीट 'ए' के अनुसार तथा परिसीट 'ए' के	

	द्वारा अधिकारी को प्रदान की जायेगी।		अनुसार संघर्ष—पत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्था वे नियोजित अभियान लिये के सात दिन के अन्दर अभियार्थी रूप से जमा किया जायेगा जिसकी पावती नियोजित प्रपत्र परिचय पत्र के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अधिकारी को प्रदान की जायेगी।
12 (iii)	<p>अधिकारी द्वारा जमा किये जाए आवेदन—पत्र में संलग्न लाभ, व नियाम प्रमाण—पत्रों का संलग्न लाभका शिक्षण की बेक्साइट से, तथा अन्य प्रमाण—पत्रों का नियाम कूल प्रमाण—पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन—पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का नियाम किये जाने के उपराना सही एवं अहं पाये गये आवेदन—पत्रों पर छात्रवृत्ति व शुल्क अधिकृति की स्थीरता हेतु संस्कृति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी—</p> <p>1—संस्था प्रमुख/ निदेशक/प्राचार्य/ प्रधानाधार्य— अध्यक्ष</p> <p>2—संस्था के वरिष्ठतम् प्राचार्यक— सदस्य</p> <p>3—संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पितङ्क वर्ग के प्राचार्यक— सदस्य</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>संस्था के वरिष्ठतम् अनुशूलित जाति के प्राचार्यक</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>उस संस्था का जिला विद्यालय नियोजक द्वारा नामित सामान्य</p>	12 (iii)	<p>अधिकारी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का नियाम शिक्षण संस्थान पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन—पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का नियाम किये जाने के उत्तरात् सही एवं अहं पाये गये आवेदन—पत्रों पर छात्रवृत्ति व शुल्क अधिकृति की स्थीरता हेतु संस्कृति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी—</p> <p>1—संस्था प्रमुख/ निदेशक/प्राचार्य/ प्रधानाधार्य— अध्यक्ष</p> <p>2—संस्था के वरिष्ठतम् प्राचार्यक— सदस्य</p> <p>3—संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पितङ्क वर्ग के प्राचार्यक— सदस्य</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>संस्था के वरिष्ठतम् अनुशूलित जाति के प्राचार्यक</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>उस संस्था का जिला विद्यालय नियोजक द्वारा नामित सामान्य</p>

	नामित सामग्री की कोई प्राप्यापक		सेवी का कोई प्राप्यापक
12 (iv)	उपरोक्त नियमि त पर संस्कृत छात्री का नियांसित विवरण विभाग द्वारा ऐयार उत्तरे साफल्येवर के डाटारेस में फोड़ उत्तरी का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व भी संस्था का ही होगा। फोड़ कराये गये डाटा की हाई एवं साफट कमी (सीडी) के साथ परिषिक्त ‘ज’ के अनुसार स० 10/- के स्थाप ऐपर पर शब्द-पर सहित संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्कृति विभाग के नियांसित संघर्ष जनपर्दीय या क्षेत्रीय अधिकारी को नियांसित विभि तक उपलब्ध करायी जायेगी।	12 (iv)	उपरोक्त समिति हारा संस्कृत छात्री का विवरण आव लाइन संस्थापित करने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का ही होगा। इत द्वारा जमा आनलाइन फोड़ आवेदन पत्र के विनियोग समस्त संस्कृती सहित संस्थान द्वारा आनलाइन संस्थापित विवरण की हाई कापी परिषिक्त ‘ज’ के अनुसार स० 10/- के स्थाप ऐपर पर शब्द-पर संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्कृति सहित विभाग के नियांसित संघर्ष जनपर्दीय या क्षेत्रीय अधिकारी को नियांसित विभि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/ छात्राओं का डाटा नुटिपूर्ण बतल या अपूर्ण पाया जाता है तो ऐसे छात्र/ छात्राओं को संस्था द्वारा संगुणित कारण दर्शाए हुए उत्तरदायित्व एवं नुटिपूर्ण हेतु संस्कृति नहीं की जायेगी।
12 (vi)	विभाग के संस्कृत अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता एवं आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात् उपरोक्त डाटा की हाई कापी एवं साफट कमी (सीडी) अपनी संस्कृति सहित नियांसित विभि से पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृति सहित को देखा की जायेगी।	12 (vi)	विभाग के संस्कृत अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता एवं पाठ्यक्रम हेतु अनुमत्य सीटों के संपेक्ष आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात् संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र की हाई कापी संस्कृत संस्कृती सहित आनलाइन डाटा एवं एपली हाई कापी अपनी संस्कृति सहित नियांसित विभि से पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृति समिति को देखा की जायेगी।

12 (vii)	<p>जनपद सत्र पर अन्य विषयों की दसानेतर प्राप्तवृत्ति/ एक लोगोंकी की स्थिति हेतु जिस समिति नहिं की जाती है :-</p> <p>1- विश्वविद्यालय द्वारा नियमित बुल्ड विकास अधिकारी अथवा अपने विद्यालयी - अध्यक्ष 2- विद्या विभाग विशेषक - सदस्य 3- विद्या विभाग की कम्बाल अधिकारी- सदस्य सचिव</p> <p>यह समिति जनपदीय प्राप्तवृत्ति स्थीकृति समिति की जायेगी, जो इस विवरणकी के उल्लिखनों के अन्तर्गत जनपद सत्र पर प्राप्तवृत्ति एवं एक लोगोंकी की स्थिति प्रदान करेगी।</p>	12 (vii)	<p>जनपद सत्र पर अन्य विषयों की दसानेतर प्राप्तवृत्ति/ एक लोगोंकी की स्थिति हेतु जिस समिति नहिं की जाती है :-</p> <p>1-विश्वविद्यालय द्वारा नियमित बुल्ड विकास अधिकारी अथवा अपर विद्या अधिकारी - अध्यक्ष 2-बुल्ड/ बरिट विशेषकारी - सदस्य 3- विद्या विभाग विशेषक - सदस्य 4- विद्या विभाग की कम्बाल अधिकारी - सदस्य सचिव</p> <p>यह समिति जनपदीय प्राप्तवृत्ति स्थीकृति समिति की जायेगी, जो इस विवरणकी के उल्लिखनों के अन्तर्गत जनपद सत्र पर प्राप्तवृत्ति एवं एक लोगोंकी की स्थिति प्रदान करेगी।</p>
12 (viii)	<p>प्राप्तवृत्ति/ एक लोगोंकी की स्थिति से उपरान्त समिति कामा की हड्ड करनी एवं उपरान्त कामी विद्या विभाग की कम्बाल अधिकारी द्वारा प्राप्तवृत्ति स्थीकृति समिति के साथ सहायता आदेता सहित विविध लिंग से पूर्ण विद्या विभाग अधिकारी की कामा करनी जायेगी। विद्या विभाग विभाग अधिकारी द्वारा प्राप्तवृत्ति के उपरान्त सत्र पर जाता की स्थिति का साथान विशेषक सदस्य समिति भवन नियन्त्रक के अध्यन से प्राप्तवृत्ति प्राप्तवृत्ति विभाग की जायेगा।</p>	12 (viii)	<p>प्राप्तवृत्ति/ एक लोगोंकी स्थिति से उपरान्त/ एक लोगोंकी की स्थिति से दूरी अपवाही के आदेतन पत्र के साथ जनपदीय विभाग की स्थिति से जायेगी अपवाही के आदेतन पत्र एवं विद्यालय प्रभाग पत्र एवं विद्यालय प्रभाग पत्र का सत्याग्रह विद्या विभाग विभाग की कम्बाल अधिकारी द्वारा सत्याग्रह विभाग की कम्बाल अधिकारी से जायेगा। जनपदीय प्राप्तवृत्ति स्थीकृति समिति से आप्तवृत्ति/ एक लोगोंकी की स्थिति के उपरान्त विद्या विभाग विभाग की कम्बाल अधिकारी द्वारा विविध विभागों के साथ सहायता की जाता की अपवाही के सम्बन्ध में विद्या विभाग</p>

		<p>कल्पना अधिकारी को उपर्युक्त करता जायेगा। विला विभाग वर्ग कल्पना अधिकारी द्वारा बासम प्राप्त घनसंक्षि के विवरण को तत्काल विलापिकारी की आवश्यकता में गठित लिखित के साथ प्रस्तुत कराकर उपर्युक्त समस्याओं का विवरण कराया जायेगा। इस समस्या के विवरण हेतु विला विभाग वर्ग कल्पना अधिकारी पूर्णतया उत्तरदाती होगे।</p>		<p>मे घनसंक्षि अन्तर्गत मे यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका विवरण विलापिकारी स्वरूप से किया जायेगा।</p>
13 (i)	भुगतान प्रक्रिया	<p>सालम मे अवधिकारी अधिकारी को शासन द्वारा विलापिका अधिकारी लिखि तक उपर्युक्त आवेदन-पत्र द्वारा करना होगा। अधिकारी लिखि के प्रक्रिया प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।</p>	13 (i)	<p>अन्य विभाग के अन्य संबंधित विभाग द्वारा द्वारा विलापिका अधिकारी लिखि तक उपर्युक्त आवेदन-पत्र द्वारा करना होगा। अधिकारी लिखि के प्रक्रिया प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।</p>
13 (ii)		<p>विला विभाग वर्ग कल्पना अधिकारी व विला बूथना विभाग अधिकारी द्वारा तत्कालीन राजनीतिक प्राप्तिकृति एवं युवक प्रतिकृति की उत्तम विकास की घनसंक्षि द्वारा जरूर अन्दर राजनीतिक विवरण के अन्दर यांग की जांचनी तथा प्रत्येक विवरण द्वारा शासन द्वारा विलापिका लिखि की राजनीतिक प्राप्तिकृति व युवक प्रतिकृति की उत्तम विकास का राजनीतिक विवरण एवं विवरण की राज्य सुरक्षा विभाग केन्द्र</p>	13(ii)	<p>विवरण के विला विभाग द्वारा यांग सुरक्षा विभाग केन्द्र राजनीतिक विवरण से उपर्युक्त एवं युवक प्रतिकृति की घनसंक्षि की यांग सुरक्षा (जनरेट) कराकर विलापिका के अन्दर जनायदों को बोचागार के नाम से घनसंक्षि अवलोकन की जायेगी। प्रत्येक विवरण करने मे शासन द्वारा विलापिका लिखि पर विवरण द्वारा विवरण की राज्य राजनीतिकृति, सरकार द्वारा नीति कर दिया जायेगा।</p>

		लक्षणक द्वारा संकेत कर दिया जायेगा।		
13 (iii)		<p>एनआईएसीटि में अपलोड करते ही यहै छाक्कूलि डाटा के अधार पर साफ्टवेयर द्वारा लैबर दिये गये अनुसूची के द्वारा दस्तावेज़ छाक्कूलि एवं नियारित देव शुल्क की घनराशि की प्रथम लिस्ट संबंधित दात्र लैक खातों में नियारित लिपि तक जिस प्रियद्वारा बर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अवश्य अन्तरित कर दी जायेगी। उस दर्च के प्रथम सोमेस्टर के पश्चात् परीक्षा अवश्य अद्वितीय परीक्षा आदि में संभिलित होने के पश्चात् अगले सोमेस्टर में प्रवेश होने वाले छात्र/छात्राओं की दूसरे सोमेस्टर की शुल्क प्रतिकूलि की घनराशि द्वितीय दरम में जनरेट करकर वेबसाइट पर अलग ही नियित साफ्टवेयर पर अपलोड करकर प्रदर्शित होने पर नियेत्र विद्युक बर्ग कल्याण से योग की जायेगी। शुल्क प्रतिकूलि की संख्या द्वितीय दरम की घनराशि को ही वेबसाइट पर नियारित लिपि तक संबंधित साफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा य उक्त साफ्टवेयर को नियारित लिपि पर एनआईएसीटि लक्षणक द्वारा दूरीतया लाभ कर दिया जायेगा। द्वितीय दरम की योग की घनराशि नियारित खोलीम लिपि तक जनपदों को प्रेषित की जायेगी। किसी भी जनपद की योक डाटा आदि के नियारम के पश्चात्</p>	13 (iii)	<p>लक्षणक द्वारा अनलाइन सुलिल योग के साथ नियेत्र लिपि द्वारा उपलब्ध करते ही गये बजट की लीग तक नियारित लिपि वर्गीय बरीकाता छम के अनुसार कोषागार के ई-पेमेन्ट प्रक्रिया के तहत NEFT/ RTGS के माध्यम से जनपद के मुद्र्य/वरिष्ठ लोकालियतारी एवं लिला प्रियद्वारा बर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा नियारित लिपि तक पात्र छात्र/छात्राओं के योक खातों में घनराशि अनिवार्य है से अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेन्ट प्रक्रिया के तहत NEFT/ RTGS के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं को योक खातों में अन्तरम ईन्ट्रो प्रेसित घनराशि खोद किसी कल्याणका अन्तरित नहीं होती है तो योक से अनियारित यापन प्राप्त घनराशि को रुक्य सरकार के रिसीट हेड में 31 दर्च तक जमा कर दिया जायेगा। योक से अनियारित यापन प्राप्त घनराशि दो राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा करने का दलालदायिल जनपद के मुद्र्य/वरिष्ठ कोषालिकारी एवं लिला प्रियद्वारा बर्ग कल्याण अधिकारी का होगा।</p>

		दस्तावेज़ छापकृति व सुन्दर प्रतिकृति को बेसाइट पर अपलोड किया जाना अपरिहर्य हो, तो संबंधित विवरण में निरेशक, विषयक दर्ता काल्पनिक उत्तर प्रदेश की अनुसूची के बाबत तथा सुन्दर विवरण कोटि द्वारा अपलोड की जाएगी।		
13 (iv)		सुन्दर प्रतिकृति को द्वितीय चरण की घनताएँ को विस्तृत विभाग वर्ग काल्पनिक अधिकारी द्वारा विवरणम् वाह—वर्ते के अनुसार पूर्ण धारों के बीच जारी में अन्वरित कराई जाएगी।	13 (iv)	विस्तृत
18	प्रदेश के बाहर दस्तावेज़ रक्षाओं में अन्वरित सामग्री की प्राप्ति / सुन्दरप्रतिकृति की विवरण	अन्य प्रांतों में विस्तृत विवरण प्राप्ति विवरणीक सम्बन्धी में अन्वरित सामग्री को अनुसूचना उत्तर प्रदेश के भूमि नियायी दर्ता की अनुसूचना वर्ग/सुन्दरप्रतिकृति एवं सुन्दर प्रतिकृति की घनताएँ दर्ता की स्थीरता एवं विवरण वर्ग वर्गीकृति विवरण के अनुसार किया जायेगा—	18	अन्य प्रांतों में विस्तृत विवरण प्राप्ति विवरणीक सम्बन्धी में अन्वरित सामग्री को भूमि नियायी दर्ता की अनुसूचना वर्ग/सुन्दरप्रतिकृति एवं सुन्दर प्रतिकृति की घनताएँ दर्ता की स्थीरता एवं विवरण वर्ग वर्गीकृति विवरण के अनुसार किया जायेगा—
18(i)		प्रति विस्तृत वर्गवद का भूमि नियायी है, उसी वर्गवद के विस्तृत विभाग वर्ग काल्पनिक अधिकारी की प्राप्ति/वर्ते आदेन पर संख्या द्वारा संख्याएँ राखिए जायेगा। विस्तृत विभाग वर्ग काल्पनिक अधिकारी संख्या पर सुन्दरप्रतिकृति आदेन पर्याप्त संख्याएँ दर्ता करना एवं संख्यित उत्तर उत्तर संख्याएँ संख्याएँ लात्यावानोपराना स्थीरता एवं विवरण की कार्यकृति इस नियायाली में	18(i)	प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दस्तावेज़ रक्षाओं में अन्वरित सामग्री को भूमि नियायी अन्य विभाग वर्ग (अस्ट्रोलॉजिक विभाग वर्ग को छोड़कर) के उत्तर/उत्तरायों के विस्तृत दस्तावेज़ रक्षाप्रतिकृति एवं सुन्दर प्रतिकृति द्वारा आनंदान आदेन की प्रतिकृति भी संपरीकृतगुणालाली होगी। उत्तर/उत्तरायों द्वारा संख्याएँ आदेन पर इन्टरनेट के माध्यम से अन्वरित संविशेष “स” वर्ग भरा जायेगा।

अधिकारी व्यवस्थाएँ के
नवाचन उत्तर अन्वय की
एक अनुचित सीमित स्थिति
हासा की जांची, जो
विधेय-१२(जी) के अन्वय
सहित की जाती है।

उत्तर/एकात्र हासा अन्वय
सीमितों को अनुसार
सही-सही पर कर उत्तर
विधेय अन्वय लिखा जातेगा।
इसकी सूचना का यून
उत्तराधिकार उत्तर/एकात्र का
होगा। अनुसार अधिक
स्थानों पर के विधेय अन्वय
के सभी सीमित 'ए' के
अनुसार समस्त संलग्नकों तथा
सीमित 'ए' के अनुसार
प्रयोग-पर सहित सम्बन्धित
विषय गंभीर में विधिवित
अधिकार लिखि हासा उत्तर/एकात्र
हासा जब लिखा जातेगा
विशेषी पायती विधिवित प्रयोग
सीमित 'ए' के अनुसार
विषय संलग्न हासा
उत्तर/एकात्र को प्रदान की
जाएगी। उत्तर/एकात्र हासा भरे
मात्रे अनु सूचना को अधिकारों
के अनुसार पर सभी हासा
अनु सूचना संबन्धित लिखा
जाएगा तथा सम्बन्धित कठोर
का विवरण हासा कारी के सभी
सीमित 'ए' के अनुसार
संवाद प्रयोग-पर तथा
सीमित 'ए' के अनुसार १०
५०/- के रुपाल्प एवं पर
प्रयोग-पर सहित सभी प्रयुक्त
की सम्मुखी सहित सम्बन्धित
विषय विधिवित विधान
कारी के सीमित की
जाएगी, विधिवित विधान विधिवित
ही कल्पना अधिकारी हासा
अन्वयक जीवोंवाला विधान
कारी के उत्तराधिकार सीमित
संविति से अनुसार उत्तर
लिखा जाएगा। जीवोंवाला
उत्तराधिकार सीमित सीमित से
एकात्रित/ सूलक अधिकारी के

अनुसूचित से पूर्व अधिकारी के अवैदेन पात्र के सम्बन्ध में हिन्दू यहाँ आदि प्रयाण पात्र अपरिचित प्रयाण पात्र एवं विद्युत प्रयाण पात्र का सम्बन्ध विद्युत विभाग वर्ती सम्बन्ध अधिकारी द्वारा उत्तर सिभान की विवराइट से कहाया जायेगा। अनुसूचित प्राप्तकालीन लौटीकृति संस्थानी से उत्तराधिकारी/सुन्दर प्रतिष्ठानी के अनुसूचित के सम्बन्ध विद्युत विभाग द्वारा उत्तर सिभान की विवराइट से कहाया जायेगा। अनुसूचित सम्बन्ध अधिकारी अनुसूचित द्वारा संस्थान कर्मी से पूर्व प्रतिष्ठान प्राप्त/प्राप्त के द्वारा एवं द्वारा के अनुसूचित सम्बन्ध कोइ वा विद्युत विभाग से सम्बन्ध करने का रूप है। विद्युतालय द्वारा एन्ट्रीकार्डीन की राज्य द्विकार्डी से सम्बन्ध कर इन्स्ट्रुमेंट के सम्बन्ध से अनुसूचित अनुबद्धार वर्ती पात्र लैसार कहाया जायेगा। अनुसूचित अनुबद्धार वर्ती पात्र सुनिश्च होगे के सम्बन्ध विद्युतालय द्वारा बजट की सम्बन्धता के अनुसार प्राप्तकालीन एवं सुन्दर प्रतिष्ठानी पात्र वे विद्युतालयी के विषय 11 (V) में संरित वरीदतालय में ही उत्तराधीनी वर्ती बजट अवैदेन विद्युत जायेगा। अन्य प्रदेशों में अधिकारीनां प्राप्त/ प्राप्तकालीन विद्युत विभागीय अनुसूचित प्राप्त/ प्राप्तकालीन हेतु विद्युतित उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी। प्राप्त/ प्राप्त की प्राप्तकालीन/ सुन्दर प्रतिष्ठानी प्राप्त/ प्राप्त

				के एक खतों में सौख्य उन्नत कौशिकार से ई-पेमेंट (E- payment) फ़िल्म के तहत NEFT/ RTGS की प्रक्रिया हो अनुमति की जायेगी।
18 (iii)	प्रदेश के बाहर शिक्षा सम्बन्धी, उनमें सावधित प्रदूषकों तथा घासबुलिं हेतु बाज़ भारती का अवग शिवराम देवर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शिक्षा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक सामृद्धयोदय देवर किया जायेगा।	18 (iii)		-प्रिलीलिपि-

उपरोक्त के अधिकारिक कार्यालय झाप दिनांक 08 जनवरी, 2013 के अन्व नियम अधिकार
सामू रहेंगे। कृपया तदनुसार बनाई से अनुचालन सुनिश्चित किया जाय।

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या: ६३७ (१) /६४-२-२०१३-१[प्राप्तक्रिया] /२०१३ तदृदिनांक]

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, शिक्षा/विद्योजन/व्याय/उच्च शिक्षा/प्राथिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/
व्यवसायिक शिक्षा/प्रिकिल्टा शिक्षा/सूचि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- भागलेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- राज्य सूचना प्रिलियां अधिकारी, एनआईसी०, उत्तर प्रदेश, सख्तनक को इस निर्देश के
साथ कि हसकी प्रतियों समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलामुक्त को ई-पेमेंट के माध्यम से
भेजे तथा प्रिलिया वर्ग कल्याण विभाग की डेवलपमेंट पर अप्रसोढ करें।
- 4- समस्त मण्डलामुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- निर्देशक, प्रिलिया वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, सख्तनक।
- 6- समस्त उपनिर्देशक, प्रिलिया वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जिला प्रिलिया वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- निर्देशक, कोशागार, यवाहर भवन, सख्तनक।
- 9- शिला (व्याय-नियंत्रण) अनुचाल-३, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- गार्ड काइस।

आशा से,

२०१३-१
(नीलम अहलावत)
प्रिलिया सचिव

फॉरम/
हेतु १८८/६१

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद
/ स०३०/ दसगढ़िया०/ २०१५-२०१६/ दिनांक १० अक्टूबर २०१५

प्राप्तार्थी/निवेदक:

समस्त हिस्सी कालेज महाविद्यालय/टैक्सीकर्म बदलेज
जनपद फिरोजाबाद**विषय-**

सैक्षणिक सत्र २०१५-२०१६ में दसगढ़िया छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाभारी (वका ११, १२ एवं गुप ०४ के पाठ्यकार्यों को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं से जासन हाता जारी रामबालारिनी के अनुसार औनलाईन आवेदन करने जाने विषयक

महोदय-

कृपया उपलोक्त विषय के बहुत संविध समाज कल्याण स०३० जासन हाता जारी योजनादेश संख्या /८७९/ २६-३-२०१५-४(३६८)०७८०००१० लमाज कल्याण अनुभाग-३ दिनांक २५ मार्च २०१५ सैक्षणिक निवेदन समाज कल्याण स०३० संख्याके के पश्च लंबाया/ली-६३७३/८०३०/०५/२०१४-१५/दिनांक २८ मार्च २०१५ का जासन गृहज करने का कार्य करें जिसके अनुसार याज्ञिक निकाय परिषद हाता लंबालित विद्यालयों का सैक्षणिक सत्र २०१५-२०१६ अक्टूबर २०१५ से प्रारम्भ कर दिए जाने के दृष्टिगत सैक्षणिक सत्र २०१५-२०१६ में दसगढ़िया छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाभारी (वका ११, १२ एवं गुप ०४ के पाठ्यकार्यों को छोड़कर) छात्र/छात्राओं हाता छात्रवृत्ति/शुल्क हेतु औन लाईन आवेदन करने के लिए नियानुसार रामबालारिनी जारी की गयी है।

क्रमांक	विविध समाज कार्यकारी	नवीनीकरण हेतु समयावधि	नई जारी के आवेदन हेतु समयावधि
१	छात्र/छात्राओं हाता औनलाईन आवेदन लिया जाना	०१ जुलाई से ३१ जुलाई २०१५ तक	०१ जुलाई से ३० निवेदन २०१५ तक
२	औनलाईन आवेदन में की जारी त्रुटियों को छात्र/छात्राओं हाता लौकिक लिया जाना	०१ अगस्त से १० अगस्त तक	०१ अक्टूबर से १० अक्टूबर तक
३	औनलाईन आवेदन पश्च भरने के ०७ दिन के अन्दर विलम्बतम १७ अगस्त २०१५ तक	आवेदन पश्च भरने के ०७ दिन के अन्दर विलम्बतम १७ अगस्त २०१५ तक	आवेदन पश्च भरने के ०७ दिन के अन्दर विलम्बतम १७ अगस्त २०१५ तक
४	निकाय विभाग के अधिकारी हाता विवाह वास्तवा प्रतिपादित एवं अवस्थारित करना	०१ जुलाई से ३४ अगस्त २०१५ तक	०१ जुलाई से २४ अक्टूबर २०१५ तक
५	निकाय विभाग के अधिकारी हाता विवाह वास्तवा, वाहकम एवं वास्तविक छात्रसंघों आदि की प्रकाशितता की औनलाईन रामबालारित करना	०१ जुलाई से ३१ अगस्त २०१५ तक	०१ जुलाई से ३१ अक्टूबर २०१५ तक
६	एनोडाइलॉसी लंबा इकाई में विभिन्न लिन्क्सों पर लोडेशन लिया जाना	०१ निवेदन से १५ निवेदन २०१५ तक	०१ निवेदन से १५ नवम्बर २०१५ तक
७	PFMS सापरेटर से जासनगोपनाता हाता वापस प्राप्त लिया जाना	३० निवेदन २०१५ तक	३० नवम्बर २०१५ तक
८	जनपरीय छात्रवृत्ति लोडकॉल संस्थित हाता वाहिनीपद दाता की रामबाला वे निवेद लिया जाना एवं शुद्ध दाता की जारी की छात्रवृत्ति लोड का शुल्क प्रतिपूर्ति लोडकॉल करना	१५ अक्टूबर २०१५ तक	१५ निवेदन २०१५ तक
९	जनपर रामरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल लिनेपर से लौकिक दाता के आवार पर लोडगार की ई-पेमेंट (e-payment) के दाता PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत दैक जारी में रीट्रैट उनराइट अन्वरित करना	२० अक्टूबर २०१५ तक	२० निवेदन २०१५ तक
१०	जनपर रामरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल लिनेपर से लौकिक दाता के आवार पर लोडगार की ई-पेमेंट (e-payment) की दाता सैक्षणिक अन्वरित करना	२७ अक्टूबर २०१५ तक	२५ निवेदन २०१५ तक
११	जनपर रामरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल लिनेपर से लौकिक दाता के आवार पर लोडगार की ई-पेमेंट (e-payment) के दाता PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत दैक जारी में रीट्रैट उनराइट अन्वरित करना	३० अक्टूबर २०१५ तक	३१ निवेदन २०१५ तक

अत अनुरोध है कि प्रदूष रामिद समिक्ष समाज कल्याण स०३० जासन हाता जारी योजनादेश संख्या /८७९/ २६-३-२०१५-४(३६८)०७८०००१० लमाज कल्याण अनुभाग-३ दिनांक २५ मार्च २०१५ के योजनायोजनादेश के छात्र/छात्राओं से औन लाईन आवेदन करने का कार्य करें।

संलग्नक-उक्तानुसार

प्रधानमंत्री संख्या/
प्रतिलिपि-

/ सैक्षणिक

नियन्त्रितिकर जी रोडा में शुद्धनाई/अवलोकनार्थी एवं आवारपद कार्यकारी हेतु प्रेषित है।
 १-जिलाधिकारी फिरोजाबाद।
 २-गृह लियारा अधिकारी फिरोजाबाद।
 ३-जिला लियारा अधिकारी फिरोजाबाद

जिला समाज कल्याण अधिकारी
फिरोजाबाद।

५

(5) Speed Part

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।
पत्रांक ६३७३ / सठका० / शिला-अ / २०१४-१५

21557 B2K

लखनऊ न्दिनांक : पार्व २६, २०१५

1. सामरस्ता मण्डलीय उप निदेशक,
समाज कल्याण
उत्तरार प्रदेश।
 2. सामरस्ता जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तरार प्रदेश।

~~DSR~~
~~b~~

~~C 30~~

विषय— शैक्षणिक राज 2015-16 में पूर्वदराम छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9 व 10 तथा दशमोहार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कक्षा 11 व 12 एवं सुप 04 के अधिकारकों के छात्रों हेतु आवेदन करने से सेवान भवाराशि अन्वरण करने की । 33 सम्बन्ध-आरिणी के सम्बन्ध में शासनादेश बाल्या 879 / 26-3-2015 -4(358) / 07-टी०सी०।। दिनांक 26 गार्थ, 2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

यूपया उपर्युक्त विषयक रांदर्भ में प्रमुख संघिय, सामाज कल्याण, उत्तार प्रदेश शासन, अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 879/26-3-2015-4(356) /07-टी0सी० । । । दिनांक २५ भार्त, 2015 का रांदर्भ लेने का काट करे, जिसके हारा वर्ष 2015-16 से मूल्यांकित शिक्षा परिषद हारा संचालित विद्यालयों का शैक्षिक सत्र माह अप्रैल से प्रारम्भ कर दिये जाने के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2015-16 में “दशमोत्तार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (वक्ता 11.12 एवं ग्रुप 04 के पाठ्यक्रमों के छात्रों को छोड़कर)” प्रधेशित अनुरूपित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना की कियान्वयन हेतु समय-सारिणी निर्नाल की गयी है। प्रसन्नगत शासनादेश एवं कार्यवृत्ति जालग्न है।

कृपया समय-सारिणी के अनुसार शीक्षणिक वर्ष 2015-16 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का विद्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु इसका बहुद प्रधार-प्रसार करायें। जनपद के संबंधित शिक्षण संस्थाओं ने इसकी प्रति मिलायाएँ एवं जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अव्यक्तता में उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीकाक/संबंधित अधिकारियों के साथ फैलक कराये एवं उन्हें समय-सारिणी से भली-गाँहि अवगत करारी हुये समवयक्त अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(सुरेन्द्र शिल्पाम)
प्रिया

पष्टकांकन संस्था / दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रशिलिपि-उपरोक्त शासनादेश की छायाप्रति निम्नाधिक अधिकारियों को आवश्यक कार्यसाही हेतु सम्बोधित -

- काव्याहा हतु संचाकत — प्रमुख राधिका, समाज यज्ञाण, उत्तर प्रदेश शासन, अनुभाग—३ को रूचनार्थी ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
 - समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
 - वित्त विद्यार्थक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्यालय ।
 - श्री पी०सी० उपाध्याय, उप निदेशक / श्री पी०ब०० शिष्टाचारी, उप निदेशक / श्री पी०ब००सिंह, उप निदेशक, जनजाति (विकास), मुख्यालय ।
 - समस्त उच्च शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षालय निरीक्षक / जिला ईसिक्ष शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
 - समस्त जिला सचिव एवं विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०), उत्तर प्रदेश ।

संस्कारनकः— वर्णोपता ।

(सुरेन्द्र विश्वामी)
विश्वामी २६(४)

प्रधान:

मुख्यमन्त्री
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

संवाद में

- ✓ १- विदेशक, रामाज रामायण, उ०८००।
- ✓ २- विदेशक, जनजाति विकास, उ०९९०।

समाज रामायण अनुभाग-३

संलग्नक: दिनांक २५ - ०३ - २०१५

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में दशमोत्तम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिशूलिं योजनानार्थी (कक्षा 11,12 एवं ग्रुप 04 के पाठ्यक्रमों के छात्रों को छोड़कर) आवेदन करने से लेकर प्राप्तिशूलिं अन्वयन करने की समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय

महोदय किया पर जैसा कि आप अवगत हैं कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिशूलिं योजना की गणीयता बैठक मुख्य सचिव, उ०८०० रामाजन की अव्यक्तता में दिनांक 18.03.2015 को आहुति की गयी थी। उबल बैठक वज्र कार्यदृत समाज रामायण अनुभाग-३ के पत्रांक ६६१/२६-३-२०१५, दिनांक 24.03.2015 द्वारा निर्णीत किया गया है। वर्ष 2015-16 में शैक्षणिक शिक्षा परिवद द्वारा रामायण विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र अप्रैल माह से प्रारम्भ कर दिये जाने के दृष्टिगत उक्त बैठक में लिये गये विषय के कम में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में दशमोत्तम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिशूलिं योजनानार्थी (कक्षा 11,12 एवं ग्रुप 04 के पाठ्यक्रमों के छात्रों को छोड़कर) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामाजिक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना के फिलान्डयन हेतु नियन्त्रित समय-सारिणी निर्णीत की जाती है:-

PG/FA
S.D.(B)/D.D.(T)/
R/Ans.

1
26.03.15

क्र.	प्रक्रियावाक कार्यकारी	नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित	नवे छात्रों के आवेदन हेतु सम्बन्धित
१	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना	०१ जुलाई से ३१ जुलाई, 2015 तक	०१ जुलाई से ३० शितम्बर, 2015 तक
२	ऑनलाइन आवेदन के की गयी चुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा टीक दिया जाना	०१ अगस्त से १० अगस्त तक	०१ अक्टूबर से १० अक्टूबर तक
३	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हाई कमी छात्र/छात्राओं द्वारा चाहिए संलग्नकों रखिए शिक्षण संसद्या में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के ०७ दिन के अन्दर, शिक्षण संसद्या १७ अगस्त, 2015 तक	आवेदन पत्र भरने के ०७ दिन के अन्दर शिक्षण संसद्या १७ अक्टूबर, 2015 तक
४	शिक्षण संसद्या द्वारा ऑनलाइन संलग्नित एवं अप्रसारित करना	०१ जुलाई से २४ अगस्त, 2015 तक	०१ जुलाई से २४ अक्टूबर, 2015 तक
५	शिक्षण द्वारा अधिकारी द्वारा शिक्षण राम्या, पाठ्यक्रम एवं वास्तविक छात्र राम्या आदि की प्रकाशिकता को ऑनलाइन संलग्नित करना	०१ जुलाई से ३१ अगस्त, 2015 तक	०१ जुलाई से ३१ अक्टूबर, 2015 तक
६	एनओएसी० की राज्य इकाई ने लिये दिनांक दिनांकों पर परीक्षण किया जाना	०१ शितम्बर से १५ शितम्बर, 2015 तक	०१ नवम्बर से १५ नवम्बर, 2015 तक
७	PFMS साक्षरताकार से संलग्ननीतिराम्या द्वारा वापस प्राप्त किया जाना	३० शितम्बर, 2015 तक	३० नवम्बर, 2015 तक

8.	जनपदीय छात्रवृत्ति शूल्कप्रतिपूर्ति समिति द्वारा संदेहास्पद डाटा के बाबत में गिरण सिलें जाना एवं शुल्क डाटा के खात्रों को छात्रवृत्ति सभा शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षण करना।	15 अक्टूबर, 2015 तक	15 दिसम्बर, 2015 तक
9.	जनपद स्तरीय किसानीय अधिकारी के डिजिटल सिर्वर से स्थीकृत डाटा लॉक किया जाना।	20 अक्टूबर, 2015 तक	20 दिसम्बर, 2015 तक
10.	जनपद स्तरीय किसानीय अधिकारी के डिजिटल सिर्वर से स्थीकृत डाटा के असार पर एन०आई०सी० की राज्य इकाई से भीग सूचित करना।	27 अक्टूबर, 2015 तक	25 दिसम्बर, 2015 तक
11.	जनपद स्तरीय किसानीय अधिकारी के डिजिटल सिर्वर से स्थीकृत डाटा के असार पर कौशामार की ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचते दैनिक खातों में सीधे बनारसी अन्तरित किया जाना।	30 अक्टूबर, 2015 तक	31 दिसम्बर, 2015 तक

2— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिधी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015–16 में छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित बनाने का कार्य करें।

महाराष्ट्र
७८
३५-३१५
(सुनील कुमार)
प्रमुख राजिव

पुस्तो ठेनू (1) / 26-3-2015 तदिनांक—

प्रतिलिपि विमालियित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/चुन्य शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/विकित्सा शिक्षा विभाग।
- 3— सामर्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4— निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०लखनऊ।
- 5— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6— मुख्य कौशामिकारी, जावहर भवन, लखनऊ।
- 7— बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को इस आशार से प्रेषित कि बृप्या उक्त शासनादेश की प्रति प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराने का कार्य बनें।
- 8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसंचित

निर्देशालय समाज छल्याण उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : ८५३२८८ / संलग्न / शिला / 14-15 संस्करण : दिनांक ६ मार्च 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त नगरीय उपनिदेशक समाजकल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी / समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला अध्यक्षसंचयक छल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ा दर्ग छल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- जिला उच्च शिक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश / जिला विद्यालय निरीक्षक।
- 5- समस्त जोगाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(तुमन्द दिल्ली)
निदेशक
२६/३/१५

कार्यालय जिला कालांडर

पंजाब/2/भृत्य/१०/संलग्न/वाराणी/धनबाद/जिला कालांडर विभाग अगस्त 2015

1-समस्त छात्राएँ

दिली आलेख/महाविद्यालय/विशेषज्ञान

जनपद विशेषज्ञान।

2-समस्त छात्राएँ

पात्रोटिकल कालेज/जिलीट्रॉफिक/नीसेन वीसेन

जनपद विशेषज्ञान

विषय-

विशेषज्ञान सत्र 2015-16 में दशावैशाल भवित्वपूर्ण विषयकार्यालय पुस्तक 12.3 व 4(विषय 11 व 12 की ओरकर) में व्यव्यापक पात्र आलेख/आलेखी वी. समस्त छात्रा-विशेषज्ञान विशेषज्ञानी के अनुसार 30 सितंबर 2015 तक औनलाइन आवेदन कराए जाने विषयक

गठोदय

दूसरा उपरोक्त विषय के विवरोंके द्वारा विविध समाज लक्षण उपरोक्त शासन के संलग्न पञ्चांश/87/2000/2000/20-3-2015-4(368)/07 दी गी III समाज लक्षण अनुसार-3 दिनोंके 26 अगस्त 2015 का सम्बन्ध में यह काट है। जिसके द्वारा विशेषज्ञान भवित्वपूर्ण विषयकार्यालय विषयपूर्ण जीति/व्यव्यापक एवं शासनव्य वर्ण के पुस्तक 1, 2, 3 व 4 (विषय 11 व 12 की ओरकर) में व्यव्यापक पात्र आलेख/आलेखी से शासन द्वारा विशेषज्ञान विशेषज्ञानी के अनुसार 30 सितंबर 2015 तक औनलाइन आवेदन कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

यह विवर स्थिति जागरूक कर्मालय उपरोक्त शासन के संलग्न पञ्चांश/87/2015/2000/20-3-2015-4(368)/07 दी गी III समाज लक्षण अनुसार-3 दिनोंके 26 अगस्त 2015 की प्रति संलग्न करते हुए अनुसृत है कि शासन द्वारा विशेषज्ञान विशेषज्ञानी के अनुसार विशेषज्ञान विशेषज्ञान विशेषज्ञानी के अनुसार हुए आवेदन पर जिला विधालय विशेषज्ञानी के उपरोक्त पञ्चांश विशेषज्ञान अवैधित करना नुगमित वर्ण है।

क्रमांक	विशेषज्ञान विशेषज्ञानी	पुस्तक 1, 2, 3 व 4 (विषय 11 व 12 की ओरकर)
1-	छात्र/छात्राएँ द्वारा औनलाइन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई 2015 से 30 सितंबर 2015 तक
2-	आगलाई आवेदन में यही गणी शुटियों की छात्र/छात्राएँ द्वारा दीक्षा किया जाना।	01 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2015 तक
3-	औनलाइन आवेदन पर यही लार्कलायी छात्र/छात्राएँ द्वारा विशेषज्ञानको सहित विशेषज्ञान संस्था में जीता किया जाना।	आवेदन पर अवैध के 01 दिन के अन्दर, विशेषज्ञान 17 अक्टूबर 2015 तक
4-	विशेषज्ञान द्वारा विशेषज्ञान विशेषज्ञानी को औनलाइन विशेषज्ञानित एवं अवैधित करना।	01 जुलाई से 24 अक्टूबर 2015 तक

संस्थानक वाक्तव्यगुप्तार वालानाडेश।

भवदीय

पृष्ठाकांते रोख्या/
विशेषज्ञानी-

/वाहिनीक

विशेषज्ञानीको जीता वे स्वयंवारी/अवैधिकनार्थ एवं आवेदक कार्यवाही हेतु देखिए हैं।

1-विशेषज्ञानी विशेषज्ञानी विशेषज्ञान।

2-मुख्य विकास विशेषज्ञानी विशेषज्ञान विशेषज्ञान।

3-होमीव उच्च विशेषज्ञानी विशेषज्ञानी आवेदन को वालानाडेश की प्रति को साझ।

4-विशेषज्ञान विशेषज्ञान विशेषज्ञान को वालानाडेश की प्रति को साझ।

विशेषज्ञान विशेषज्ञानी
विशेषज्ञान।